<u>न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 187/2017 (उदयपुर डिक्री)</u>

कन्हैयालाल पिता स्वर्गीय हीरालाल जी ब्राहमण, निवासी गुडली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्यामलाल पिता कन्हैयालाल जी पालीवाल (ब्राहमण), निवासी गुडली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. दिनेशचन्द्र पिता कन्हैयालाल जी पालीवाल (ब्राहमण), निवासी गुडली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. राज्य सरकार, जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली
दिनांक 31.10.2017, प्र.सं. 68/12

–––/–––

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––::–––

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 09–03–2021</u>**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गुडली के साबिक आराजी नंबर 1396/4 में से रकबा 3 बिस्वा भूमि दिनांक 07–12–1971 को एलोट हुई जिसका नामान्तरकरण भी वादी के नाम खुला, ढालबाछ में भी कब्जा वादी का दर्ज है। आवंटन दिनांक से वादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा जमाबन्दी में भी वादी का नाम दर्ज है। उक्त साबिक आराजी के नये नंबर 429 पड़े। आराजी नंबर 429 का 4 [illegible]बा वादी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज होना चाहिए था, किन्तु [illegible] के दौरान बिलानाम दर्ज कर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:02 IST
Reason: SelfAttested

दिया गया, जो गलत है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी नंबर 429 रकबा 4 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी द्वारा खण्डन का विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत बाडा अस्थाई आवंटन होता है। इस कारण अस्थायी आवंटन से खातेदारी हक प्राप्त नहीं होते हैं। वादी का नामान्तरकरण निरस्त हो चुका है, जिसकी कोई अपील वादी द्वारा नहीं की गयी है। इसलिए यह वाद नहीं चल सकता है। अतः वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकियात कायम की गयी एवं पक्षकारों की साक्ष्य लेकर व उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 31–10–2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16–11–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्टगण सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने यह मानने में भूल की है कि कथित जमीन बाडे के लिए आवंटित हुई है तथा बाडे में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। कथित जमीन बाबत अपीलान्ट द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की गयी जो दिनांक 31–11–2000 स्वीकार होकर अधिनस्थ न्यायालय के बेदखली के आदेश को निरस्त किया गया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा वादी/अपीलान्ट को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2015 (2) Page 1214, R RT 2008 (1) Page 151, RRT 2001 (2) Page 695, CT 2009 (1) Raj. Page 299, RRT 2013 (1) Page 7 SC प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:02 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय में यह माना है कि वादी को जो आवंटन हुआ है उस पर उसके द्वारा कभी भी काश्त नहीं की गयी है, जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी है। बाड़ा अस्थाई रूप से आवंटित किया जाता है, जिसका नियमन नहीं किया जा सकता। वर्तमान में भूमि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज है, जिसे वादी ने पक्षकार नहीं बनाया है। वादी ने उक्त आवंटन का नामान्तरकरण संख्या 415 वर्ष 1972 में होना बताया है, उक्त नामान्तरकरण में भी बाड़ा अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि आवंटन बाड़े का हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटित बाड़े पर किसी प्रकार की काश्त नहीं होने से एवं वादी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस बाबत् वकील अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य भिन्न होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–10–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 09–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:02 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

कन्हैयालाल के बजाय श्यामलाल पिता कन्हैयालाल जी पालीवाल (ब्राहमण), निवासी गुडली तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**187 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **मावली** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**31**.....माह.....**10**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**03**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–10–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**03**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:02 IST
Reason: SelfAttested